संख्या-83/2026/1284298/सात-न्याय-9(**बजट**)-2026- 07-9099/46/2022

प्रेषक,

उदय प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, उ0प्र0
गोमतीनगर, लखनऊ

न्याय अनुभाग-9 (**बजट**) **लखनऊ दिनांक 30 मार्च**, 2026

जनपद न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ परिसर में स्पोर्टस काम्पलेक्स के निर्माण कार्य हेतु पुनरीक्षित **प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष धनराशि की स्वीकृति ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-82/2026/1283408/सात-न्याय-9(**बजट**)-2026- 07-9099/46/2022 **दिनांक 30 मार्च**, 2026 **का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से** न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ परिसर में स्पोर्टस काम्पलेक्स के निर्माण कार्य हेतु **पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन की पुनरीक्षित आंकलित लागत रूपये 1505.24 लाख** (**रूपये पंद्रह करोड़ पांच लाख चौबीस हजार मात्र**) **की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।**

2- **तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि** न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ परिसर में स्पोर्टस काम्पलेक्स के निर्माण कार्य हेतु **अबतक अवमुक्त कुल धनराशि रूपये 1351.43 लाख को समायोजित करते हुए** न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ परिसर में स्पोर्टस काम्पलेक्स के निर्माण कार्य हेतु **पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन की पुनरीक्षित आंकलित लागत रूपये 1505.24 लाख** (**रूपये पंद्रह करोड़ पांच लाख चौबीस हजार मात्र**) **की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवशेघ धनराशि रूपये 153.81 लाख (रूपये एक करोड़ तिरपन लाख इक्यासी हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-**

(1) **उपर्युक्त निर्माण कार्य हेतु उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 कार्यदायी संस्था नामित है। अत: उक्त स्वीकृत धनराशि आहरित करके प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 लखनऊ को उपलब्ध कराने हेतु निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान गोमतीनगर लखनऊ को अधिकृत किया जाता है।**

(2) **शासनादेश संख्या- 82/2021/285/सात-न्याय-9(बजट)-2021-800(1)2020 दिनांक 04 मार्च, 2021 एवं शासनादेश संख्या-82/2026/1283408/सात-न्याय-9(बजट)-2026- 07-9099/46/2022 दिनांक 30 मार्च, 2026 की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।**

(3) **प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/ मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा**

(4) **अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2026 तक अवश्य कर लिया जायेगा।**

3- **इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुदान संख्या**-42 **के अधीन लेखाशीर्षक**-4059-**लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय**-01-**कार्यालय भवन**-60-**अन्य भवन**-051-**निर्माण**-03-**न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान गोमतीनगर के प्रशासनिक भवन छात्रावासों आदि तथा निदेशक के आवासीय भवन तथा छात्रावास के किचेन एवं डायनिंग हाल का निर्माण**-24-**वृहद निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा**

4- **यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 कार्यालय ज्ञाप सं0-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।**

भवदीय,

(उदय प्रताप सिंह)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सं0-83/2026 /1284298(1)/**सात-न्याय**-9(**बजट**)-2026, **तददिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- **प्रधान महालेखाकार**, (**लेखा एवं हकदारी**) **प्रथम**, उ0प्र0 **प्रयागराज।**

2- प्रधान महालेखाकार (**लेखा परीक्षा**), **उ0प्र0 प्रयागराज।**

3- **निदेशक**, **वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय**, **प्रथम तल**, **जवाहर भवन**, **लखनऊ।**

4- मुख्य कोषाधिकारी, **जवाहर भवन लखनऊ।**

5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, लखनऊ।

6- **अपर परियोजना प्रबन्धक उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 हाईकोर्ट इकाई-1, लखनऊ।**

7- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उ0प्र0 शासन।

8- **उप सचिव एवं नोडल अधिकारी**(**बजट एलाटमेन्ट**) **श्री पीयूष कुमार।**

9- **वित्त** (**व्यय-नियंत्रण**) **अनुभाग**-12

10- **गार्डबुक न्याय**-9(**बजट**)**।**

आज्ञा से,

(**मुकेश कुमार सिंह-।।**)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।